प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
<u>निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्याः **169/2025** (अपील सूचना का अधिकार)</u>

Dashrath Singh Shaktawat Add: ward no. 9, Khor, Jalampura, Ahor, Chittorgarh, Raj.

..............**अपीलार्थी**

<u>बनाम</u>

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

<u>प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 06/11/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329346515776148 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/169/25/985–86 दिनांक 26.09.2025 तथा ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7725688674 दिनांक 26.09.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक स. लो.सू.अ./2025/3155 दिनांक 14.10.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी ने दिनांक 13.08.2025 को आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर दो बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन outward no. 8267359028 दिनांक 08.09.2025 से Need Personal visit for Information हेतु ऑनलाईन पत्र प्रेषित कर दिया गया था। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के तहत उपखण्ड कार्यालय द्वारा अधिसूचना दिनांक से आजदिनांक तक कितने विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए एवं उक्त प्रमाण पत्रों में से कोई 10 प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि चाही गई थी। प्रथम दृष्टया अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना Specific न होकर अन्यन्त विस्तृत है। जिसके संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन outward no. 8267359028 दिनांक

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

08.09.2025 से कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित दस्तावेज का अवलोकन करने हेतु लिखा गया है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26-11-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर